राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2779 / 2024

डॉ. ज्योति सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रिंसीपल एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
4. प्रिंसीपल, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल कुमार लोरा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में अपने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.07.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में किया गया है। इसके उपरान्त अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में नव पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा आदेश की पालना की जा चुकी है। ऐसे में यह अपील सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)